झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 21 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री मुनीलाल सोरेन एवं अन्य, ग्रा०-रमला संथाली, कुमरेडी, दिलवानी, नैखिल, पो०-रमला, थाना+जिला - गोड्डा ।

बनाम

प्रतिवादी 1. जिला आपूर्ति पदा०, गोड्डा
2. जिला शिकायत निवारण पदा०- सह-अपर समाहर्ता, गोड्डा ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–21 / 2023 परिवादी श्री मुनीलाल सोरेन एवं अन्य, पो0–रमला, थाना+जिला–गोड्डा का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ। परिवादी द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदार जर्नाधन वैध के विरूद्ध माह दिसम्बर 2020 का PMGKAY का अनाज नहीं देने तथा जनवरी 2021 में निर्धारित मात्रा से बहुत कम मात्रा में अनाज दिये जाने का आरोप लगाया गया। उक्त मामले की सुनवाई कर इसे निष्पादित करने तथा कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने हेतु आयोग के पत्रांक–170 दिनांक–24.02.2023 द्वारा अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित किया गया था। कार्रवाई प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण पुनः आयोग के पत्रांक–994 दिनांक–28.12.2022 द्वारा स्मारित किया गया। उक्त के क्रम में DGRO, गोड्डा के पत्रांक–97 दिनांक–16.01.2023 द्वारा आयोग को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। पुनः आयोग के पत्रांक–69 दिनांक–25.01.2023 द्वारा सुनवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिये जाने के कारण DGRO, गोड्डा द्वारा उक्त मामले में वाद सं0–01 / 2023 प्रारम्भ करते हुए सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की प्रति ई–मेल के माध्यम से आयोग को उपलब्ध कराया गया। DGRO, गोड्डा द्वारा उक्त वाद सं0–01 / 2023 में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि लाभुकों को माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2022 का PMGKAY का चावल नहीं दिया गया है। DGRO, गोड्डा द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवंटन उपलब्ध कराने के निदेश मात्र के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त कर दिया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा इसे संज्ञान में लेकर सुनवाई प्रारम्भ करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–16.05.2023 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा के साथ–साथ जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्ता को प्रतिवादी बनाया जाय। उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–16.05.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। Sd/- 12.4.23 (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश...docx95

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
16-05-2023	**वाद सं0–21/2023** अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष की ओर से अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा उपस्थित। मामले की सुनवाई Telephonic Conference के माध्यम से की गई। आज की सुनवाई में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा दोनों उपस्थित हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि आयोग और जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश के आलोक में संबंधित लाभुकों को बकाया अनाज उपलब्ध करा दिया गया है। शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अतः आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जानकारी के आलोक में इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx27